

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:-प. 7(8)कार्मिक / क-2/08

जयपुर, दिनांक:- 2-6-2010.

आदेश

कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.5.2010 के द्वारा मा० उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा लम्बवत् (vertical) आरक्षण को 50 प्रतिशत तक निर्बंधित (Restricting) करते हुए डी० बी० सिविल रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 12810/2009 जी० शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.10.09 और 04.11.09 को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पिछळा वर्ग को राज्य के अधीन सेवाओं में भर्तियों और दाखिलों में एक प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है।

विशेष पिछळा वर्ग को उक्तानुसार आरक्षण प्रदान करने हेतु कार्मिक विभाग के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्रादेश क्रमांक प. 15(24)कार्मिक / क-2/75 दिनांक 07.8.07 के साथ संलग्न उपाबन्ध II में लम्बवत् आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु संख्या 97, जो अनारक्षित (UR) है, को विशेष पिछळा वर्ग (SBC) के लिए आरक्षित किया जाता है।

यह आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि मा० राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी० बी० सिविल रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 12810/2009 जी० शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में कोई और आदेश या विनिश्चय पारित नहीं किया जाता है।

आज्ञा से,
(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति० मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति० मुख्य सचिव।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राज. जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर्स सहित।

०५
(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।

४५
शासन उप सचिव

**राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग**

क्रमांक:- प. 15(24)कार्मिक / क-2/75

जयपुर, दिनांक: 7.8.2007

1. समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित) ।

परिपत्रादेश

वर्तमान में सीधी भर्ती में अनुजाति, अनुजनजाति एवं अन्य पिछळा वर्ग के लिए कमश: 16 प्रतिशत 12 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत और पदोन्नति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कमश: 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है । इस विभाग के समसंख्यक परिपत्रादेश दिनांक 20.11.97 के साथ संलग्न उपाबन्ध -II एवं उपाबन्ध -III के अनुसार रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये गये हैं और ये सभी बिन्दु लम्बवत हैं ।

इसके अलावा सीधी भर्ती में अन्य प्रवर्गों के लिए किया गया आरक्षण जैसे निःशक्तजन के लिए 3 प्रतिशत राजरथान सिविल सर्विसेज (एब्जॉबशन आफ एक्स सर्विसेज) रूल्स, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व रैनिकों के लिए अधीनस्थ सेवाओं और मन्त्रालयिक सेवाओं में 12½ प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा में 15 प्रतिशत आरक्षण है इसी प्रकार सभी सेवाओं में महिला अधिकारियों के लिए 30 प्रतिशत, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अधीनस्थ सेवाओं और मन्त्रालयिक सेवाओं में 2 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है और ये सभी आरक्षण दण्डवत भाना गया है । कथोंकि इन्द्र साहनी के मामले में (ए.आई.आर. 1993 एस.सी.477) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 में अनुज्ञात आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में अधिसूचना दिनांक 10.10.2002 द्वारा रिक्तियों का 3 प्रतिशत आरक्षण निःशक्तजन हेतु सभी पदों पर कर दिया गया है जिन पर निःशक्त व्यक्ति (समान अवसार, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रत्येक निःशक्तता के लिए निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित किया गया है । इसी कम में कठिपय विभागों में ग्रान्तियाँ/शंकाएँ अग्रिम्यक्त की हैं कि आज्ञा दिनांक 09.7.85 के अनुसार निःशक्तजन हेतु जो रोस्टर बिन्दु निर्धारित किए गए हैं, वे स्वतः समाप्त हो गये हैं । अतः इस रिक्ति को स्पष्ट करने हेतु कार्मिक विभाग की आज्ञा दिनांक 09.7.85 के अतिक्रम में एवं इस विभाग का समसंख्यक परिपत्रादेश दिनांक 20.11.97 के कम में सीधी भर्ती के लिए विद्यमान 100 बिन्दु रोस्टर अर्थात् उपाबन्ध-II में उपदर्शित मॉडल के अनुसार संशोधित किया गया है ।

जहाँ तक पदोन्नति का संबंध है, विद्यमान आरक्षण रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं है ।

लौक

(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
5. रजिस्ट्रार, राजरथान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

लौक

शासन उप सचिव

उपाबन्ध -II

राज्य/अधीनस्थ/मंत्रालयिक एवं अनुर्ध्व श्रेणी सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला वर्ग/भूतपूर्व सेविक/विकलांग/खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के लिए आरक्षण का मौडल रोस्टर

पद की कम संख्या	प्रवर्ग जिसके लिए पद विनिहत किए जाने चाहिए (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) (16 %/12%/21%)	प्रवर्ग जिसके लिये पद विनिहत किए जाने चाहिए (30 %)	प्रवर्ग जिसके लिये पद विनिहत किए जाने चाहिए (3 %.)	प्रवर्ग जिसके लिये पद विनिहत किए जाने चाहिए (12½ % के बल अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा)	प्रवर्ग जिसके लिये पद विनिहत किए जाने चाहिए (2 % के बल अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा)	प्रवर्ग जिसके लिये पद विनिहत किए जाने चाहिए (15 % के बल अनुर्ध्व श्रेणी सेवा)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	अनारक्षित					
2.	अनारक्षित					
3.	अनारक्षित					
4.	अनारक्षित	महिला-1				
5.	अ.पि.व					
6.	अनारक्षित					
7.	अ.जा-1	महिला-2				भू.पू.से.-1
8.	अनारक्षित				भू.पू.से.-1	
9.	अ.ज.जा.-1					
10.	अ.पि.व.-2	महिला-3				
11.	अनारक्षित					
12.	अनारक्षित					
13.	अ.जा-2					भू.पू.से.-2
14.	अनारक्षित	महिला-4				
15.	अ.पि.व.-3					
16.	अनारक्षित			भू.पू.से.-2		
17.	अ.ज.जा-2	महिला-5				
18.	अनारक्षित					
19.	अ.जा-3					
20.	अ.पि.व-4	महिला-6				भू.पू.से.-3
21.	अनारक्षित					
22.	अनारक्षित					
23.	अनारक्षित					
24.	अ.पि.व-6	महिला-7		भू.पू.से.-3		
25.	अ.ज.जा-3					
26.	अ.जा-4					
27.	अनारक्षित	महिला-8			भू.पू.से.-4	
28.	अनारक्षित					
29.	अ.पि.व-6					
30.	अनारक्षित	महिला-9				
31.	अनारक्षित					
32.	अ.जा-6			भू.पू.से.-4		
33.	अनारक्षित					भू.पू.से.-5
34.	अ.ज.जा-4	महिला-10	अंधरा या निम्न बुटि			
35.	अ.पि.व-7					
36.	अनारक्षित					
37.	अनारक्षित	महिला-11				
38.	अ.जा-6					
39.	अ.पि.व-8					
40.	अनारक्षित	महिला-12		भू.पू.से.-5		भू.पू.से.-6
41.	अनारक्षित					
42.	अ.ज.जा-6					
43.	अ.पि.व-9					
44.	अ.जा-7	महिला-13				
45.	अनारक्षित					
46.	अनारक्षित					
47.	अनारक्षित	महिला-14				भू.पू.से.-7
48.	अ.पि.व-10			भू.पू.से.-6		
49.	अनारक्षित					
50.	अ.जा-8	महिला-15				खिलाड़ी-1
51.	अ.ज.जा-6					

52.	अनारक्षित					
53.	अपिव-11					भूपूसे-८
54.	अनारक्षित	महिला-16				
55.	अनारक्षित					
56.	अनारक्षित			भूपूसे-७		
57.	अजा-८	महिला-17				
58.	अपिव-12					
59.	अजाजा-७					
60.	अनारक्षित	महिला-18				भूपूसे-९
61.	अनारक्षित					
62.	अपिव-13					
63.	अजा-१०					
64.	अनारक्षित	महिला-19		भूपूसे-८		
65.	अनारक्षित					
66.	अनारक्षित					
67.	अजाजा-८	महिला-20	अवण शक्ति की लोगता			भूपूसे-१०
68.	अपिव-14					
69.	अजा-११					
70.	अनारक्षित	महिला-21				
71.	अनारक्षित					
72.	अपिव-15			भूपूसे-९		
73.	अनारक्षित					भूपूसे-११
74.	अनारक्षित	महिला-22				
75.	अजाजा-९					
76.	अजा-१२					
77.	अपिव-16	महिला-23				
78.	अनारक्षित					
79.	अनारक्षित					
80.	अनारक्षित	महिला-24		भूपूसे-१०		भूपूसे-१२
81.	अपिव-17					
82.	अजा-१३					
83.	अनारक्षित					
84.	अजाजा-१०	महिला-25				
85.	अनारक्षित					
86.	अपिव-18					
87.	अनारक्षित	महिला-26				भूपूसे-१३
88.	अजा-१४				भूपूसे-११	
89.	अनारक्षित					
90.	अनारक्षित	महिला-27				
91.	अपिव-१९					
92.	अजाजा-१४					
93.	अनारक्षित					भूपूसे-१४
94.	अजा-१५	महिला-28				
95.	अनारक्षित					
96.	अपिव-२०			भूपूसे-१२		
97.	अनारक्षित	महिला-29				
98.	अजा-१६					
99.	अजाजा-१२					
100.	अपिव-२१	महिला-३०	गति विवरक गिरावटाता आ नरितक संबंधी कामिल		खिलाड़ी-२	भूपूसे-१५

नोट- इसी सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दण्डवत आश्कण बिन्दुओं में ऐसे भी बिन्दु हैं जो अनुजाति, अनुजनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित बिन्दुओं से टकराते हैं परन्तु इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। क्योंकि रोस्टर बिन्दु लम्बवत हो या दण्डवत प्रवर्ग विशेष के लिए पात्रता/गिनती सुनिश्चित करने के लिए तथ किये गये हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि बिन्दु सं. ३४ अजाजा के लिए निर्धारित है इसी बिन्दु पर महिला एवं निःशक्तजन (अंधता) भी आते हैं जो कि दण्डवत आश्कण है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि महिला वर्ग को ३४वाँ बिन्दु दिया जाये और वह निःशक्त भी हो। अतः तात्पर्य यह है कि ३४ पदों में १० महिलाओं के पद बनते हैं। एक पद निःशक्तजन के लिए बनता है तो १० महिलाएँ किसी भी वर्ग की हो सकती हैं और निःशक्त व्यक्ति भी किसी वर्ग का हो सकता है। ये जिस किसी भी वर्ग के (सामान्य, अजा, अजाजा एवं अपिव) अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उनमें इनको समायोजित कर दिया जावेगा।